कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय *बनाम* विनोद कुमार (एस. सी. मित्तल, जे.

पूर्ण बेंच

लेटर्स पेटेंट अपील

न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, न्यायमूर्ति एससी मित्तल और न्यायमूर्ति ए एस बैंस के समक्ष यह मामला पेश किया गया।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, अपीलकर्ता

बनाम

विनोद कुमार, - प्रतिवादी।

1975 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 639

21 अक्टूबर, 1976।

भारत का संविधान 1950 - *अनुच्छेद 226 - घरेलू अधिकरणों के आदेश - हस्तक्षेप की गुंजाइश - कहा गया है - समिति द्वारा एक परीक्षार्थी को अनुचित साधनों के उपयोग का दोषी पाया जाना - ऐसे साधनों के तरीके के बारे में समिति द्वारा निष्कर्ष - क्या आवश्यक है?*

यह माना गया कि भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित अनुचित साधन समिति जैसे घरेलू न्यायाधिकरण के फैसलों के साथ हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है और आम तौर पर यह ऐसे घरेलू न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में होता है कि वे उनके समक्ष पेश किए गए सबूतों के प्रकाश में सभी प्रासंगिक प्रश्नों पर निर्णय लें। अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे न्यायाधिकरणों के आदेशों की वैधता से निपटने में, उच्च न्यायालय को उन्हें रद्द करना उचित होगा यदि वे किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई मामला बिल्कुल भी सबूत नहीं है, न्यायालय को ट्रिब्यूनल द्वारा

विचार किए गए और तय किए गए पूरे मामले की जांच करने की आवश्यकता है और ऐसा करने में भी, अदालत को आक्षेपित निर्णयों पर अपील में नहीं बैठना है। भले ही न्यायालय के पास ट्रिब्यूनल द्वारा की गई कार्यवाही का रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक सामग्री हो, लेकिन यह मामले को तय करने में एक बड़ी बाधा के तहत होगा क्योंकि ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के आचरण और इसके सदस्यों के दिमाग पर उनके द्वारा बनाई गई छाप को जानने का कोई साधन नहीं होगा।

(पैरा 3, 9 और 13)

यह तथ्य कि अनुचित साधनों के उपयोग का सहारा लेने के लिए एक परीक्षार्थी को दोषी ठहराने वाली अनुचित साधन समिति का आक्षेपित निर्णय, उस तरीके को नहीं दोहराता है जिसमें इस तरह के साधनों का सहारा लिया गया था, इसका कोई परिणाम नहीं है। केवल इसलिए कि जांच समिति ने विस्तृत रिपोर्ट नहीं लिखी, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया कि परीक्षार्थी ने अनुचित साधनों का उपयोग किया था। इस प्रकार अनुचित साधनों के उपयोग के दोषी परीक्षार्थी को खोजने वाली अनुचित साधन समिति को उस तरीके को दोहराने की आवश्यकता नहीं है जिसमें इस तरह के साधनों का सहारा लिया गया था।

(पैरा 20)

माननीय न्यायमूर्ति एसएस संधावालिया और माननीय न्यायमूर्ति एमआर शर्मा की खंडपीठ द्वारा मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 26 मार्च, 1976 *को एक बड़ी पीठ को मामला भेजा गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम चंद जैन, माननीय न्यायमूर्ति श्री एस सी मित्तल और माननीय न्यायमूर्ति श्री ए एस बैंस की पूर्ण पीठ ने अंततः* 21 *अक्टूबर,* 1976 को मामले का फैसला किया।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय *बनाम* विनोद कुमार (एस. सी. मित्तल, जे.

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरबंस लाल के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खण्ड X के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील सिविल रिट याचिका सं 2008-02 में पारित की गई है। 5 दिसंबर, 1975 को 1975 का रिट सं 5004 ।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील जेएल गुप्ता, एडवोकेट जीसी गुप्ता और एडवोकेट विपन कौशल मौजूद थे।

एच एल सिब्बल, एडवोकेट, एससी सिब्बल, एडवोकेट और के के अग्रवाल, एडवोकेट; *उत्तरदाता के लिए।*

निर्णय

न्यायमूर्ति एससी *मित्तल* - (1) विनोद कुमार अप्रैल, 1975 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए परीक्षा (भाग III) में उपस्थित हुए। परीक्षा केंद्र अंबाला शहर के एसए जैन कॉलेज था, जिसके छात्र विनोद कुमार थे। अंग्रेजी पेपर ए की परीक्षा 4 अप्रैल, 1975 को आयोजित की गई थी। विनोद कुमार को 23 जून, 1975 को विश्वविद्यालय से नोटिस (अनुलग्नक पी 1) प्राप्त हुआ, जिसमें उन पर एक अन्य उत्तर-पुस्तिका में तस्करी करके परीक्षा में नकल करने के लिए जानबूझकर पूर्व व्यवस्था करके अनुचित साधनों का उपयोग करने और कदाचार करने का आरोप लगाया गया था। विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार, विनोद कुमार ने अगले 25 तारीख को स्पष्टीकरण भेजा। 27 जून, 1975 को, वह अनुचित साधन समिति (इसके बाद समिति के रूप में संदर्भित) के समक्ष उपस्थित हुए।

विनोद कुमार को अवसर दिया गया और समिति द्वारा उनकी बात सुनी गई। तत्पश्चात् 28 जुलाई, 1975 को समिति ने अपना निर्णय (अनुलग्नक पृष्ठ 11) दिया जिसमें विनोद कुमार को अनुचित साधनों का सहारा लेने और उन्हें उपर्युक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने से रोकने का दोषी पाया गया। इस निर्णय को विश्वविद्यालय द्वारा अनुपत्र *पी 10*

के तहत अधिसूचित किया गया था।

(2) व्यथित महसूस करते हुए विनोद कुमार ने 1975 की सिविल रिट याचिका संख्या 5004 दायर की। एकल न्यायाधीश ने इसकी अनुमति दी और उपरोक्त निर्णय (अनुलग्नक पी 11) और अधिसूचना (अनुलग्नक पी 10) को रद्द कर दिया। विश्वविद्यालय ने तब वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। इस पर इस न्यायालय की एक पीठ ने सुनवाई की थी। विद्वान न्यायाधीशों ने विचार व्यक्त किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका की अनुमति देते समय यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि समिति द्वारा किए गए निष्कर्ष किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने स्वयं प्रासंगिक सबूतों का विज्ञापन किया, जिसमें उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच और समिति के निर्देश पर विनोद कुमार का लेखन शामिल था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस दृष्टिकोण से इस मुद्दे की जांच की कि क्या समिति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से निकाला गया निष्कर्ष आवश्यक और न्यायोचित था और यह भी राय दी कि समिति ने तथ्य के कुछ मुद्दों पर विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किए थे। इन टिप्पणियों के साथ विद्वान न्यायाधीशों ने समिति जैसे घरेलू न्यायाधिकरण के आदेश के साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की गुंजाइश को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए एक बड़ी पीठ को यह संदर्भ दिया है।

(3) संदर्भ क्रम में उल्लिखित विषय पर अग्रणी प्राधिकारी बोर्ड *ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, यूपी इलाहाबाद और एक अन्य* है बनाम *बागलेश्वर प्रसाद और अन्य,* (1)। पृष्ठ 878 पर रिपोर्ट के पैरा 12 में उनके लॉर्डशिप ने फैसला सुनाया: -

> "इस प्रकार की याचिकाओं से निपटने में, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों या अपीलकर्ता संख्या

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय *बनाम* विनोद कुमार (एस. सी. मित्तल, जे.

1 *(हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, यूपी इलाहाबाद)*

जैसे शैक्षणिक संस्थानों ने उम्मीदवारों द्वारा अनुचित साधनों को अपनाने से उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए जांच समितियों का गठन किया है, और आम तौर पर ऐसे घरेलू न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में है कि उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में सभी प्रासंगिक प्रश्नों पर निर्णय लें। अनुचित साधनों को अपनाने के मामले में, प्रत्यक्ष साक्ष्य कभी-कभी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं और संभावनाओं और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकाश में प्रश्न पर विचार करना होगा।

(1) ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 875

यह समस्या जिसका शैक्षिक संस्थाओं को समय-समय पर सामना करना पड़ता है, एक गंभीर समस्या है और जब तक ऐसा करने का औचित्य न हो, न्यायालयों को विश्वविद्यालयों जैसे शैक्षिक निकायों द्वारा नियुक्त घरेलू अधिकरणों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए। अनुच्छेद 226 के तहत विश्वविद्यालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों की वैधता से निपटने में, उच्च न्यायालय विचाराधीन निर्णय पर अपील में नहीं बैठा है; यह क्षेत्राधिकार सीमित है और हालांकि यह सच है कि यदि आक्षेपित आदेश किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं है, तो उच्च न्यायालय उस आदेश को रद्द करने के लिए उचित होगा। लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आक्षेपित आदेश किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं है कि क्या संभावनाएं और परिस्थितिजन्य साक्ष्य उक्त निष्कर्ष को सही नहीं ठहराते हैं। ऐसे मामलों में घरेलू न्यायाधिकरणों द्वारा की जाने वाली जांच, निस्संदेह, निष्पक्ष होनी चाहिए और जिन छात्रों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, उन्हें अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए, और ऐसी जांच करने में, न्यायाधिकरणों को प्राकृतिक न्याय के नियमों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए; लेकिन हमारे विचार से इन जांचों में उन सभी बातों को शामिल करना उचित नहीं होगा जो सामान्य न्यायालयों में आपराधिक मुकदमों को नियंत्रित करते हैं। वर्तमान मामले में, किसी भी तरह की निंदा का सुझाव नहीं दिया गया है और कोई *दुर्भावना* का अनुरोध नहीं किया गया है। जांच निष्पक्ष रही है और प्रतिवादी को अपना बचाव करने का अवसर मिला है। ऐसा होने पर, हमें लगता है कि प्रतिवादी के खिलाफ पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उच्च

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय *बनाम* विनोद कुमार (एस. सी. मित्तल, जे.

न्यायालय के लिए उचित नहीं था।

इससे पहले *मैसूर राज्य बनाम मैसूर राज्य* में *शिवबसप्पा,* (2), उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

> "अर्धन्यायिक कार्यों का उपयोग करने वाले घरेलू न्यायाधिकरण अदालतें नहीं हैं और इसलिए, वे अदालतों में कार्रवाई के परीक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं और न ही वे साक्ष्य के सख्त नियमों से बंधे हैं। वे अदालतों के विपरीत, सभी स्रोतों से और सभी चैनलों के माध्यम से जांच के तहत बिंदुओं के लिए सभी जानकारी, सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, बिना उन नियमों और प्रक्रियाओं से बंधे जो अदालत में कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं। कानून उन पर एकमात्र दायित्व डालता है कि उन्हें प्राप्त होने वाली किसी भी जानकारी पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जब तक कि वे इसे उस पार्टी को नहीं डालते हैं जिसके खिलाफ इसका उपयोग किया जाना है और उसे इसे समझाने का उचित अवसर दें। एक उचित अवसर क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन जहां ऐसा अवसर दिया गया है, वहां कार्यवाही इस आधार पर हमला करने के लिए खुली नहीं है कि जांच अदालतों में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई।

(4) इन टिप्पणियों को के एल शिंदे बनाम *मैसूर केरल राज्य,* (3) मामले में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एक परीक्षार्थी के मामले की सुनवाई की, जिसे तिमेश

कपूर बनाम *पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य,* (4). भारत मामले में कदाचार का दोषी कहा गया *था* ।

(2) ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 375.

(3) 1976 (3) एस.सी.सी.

(4) ए.आई.आर. 1965 पी.बी. 120

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय *बनाम* विनोद कुमार (एस. सी. मित्तल, जे.

विद्वान न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि ऐसे मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए किसी भी विनियम के अभाव में, यह निश्चित रूप से अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है और उसका पालन कर सकता है, जब तक कि प्राकृतिक न्याय के नियम का अनुपालन किया गया हो। एक परीक्षार्थी को उस मामले के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया जाना चाहिए जिससे उसे मिलना है और इस संबंध में एक पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए।

(5) इसी तरह के एक मामले में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य *बनाम प्रेम चंद होंडा में* इस न्यायालय की एक पीठ (5) में यह निर्धारित किया गया है कि विश्वविद्यालयों जैसी शैक्षिक संस्थाओं को अनुशासन लागू करने के मामले में स्वयं पर छोड़ देना चाहिए और जब तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन अथवा किसी सांविधिक उपबंध के उल्लंघन का स्पष्ट मामला नहीं बनता है, तब तक न्यायालयों को शैक्षिक प्राधिकारियों के उन आदेशों में हस्तक्षेप करने से घृणा करनी चाहिए जिनमें छात्रों को उनकी गंभीर चूकों के लिए दंडित किया जाता है।

(6) त्र्यंबक पति त्रिपाठी बनाम *बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, यूपी,* (6) भी एक परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग का मामला था। बागेश्वर प्रसाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रकाश में, उक्त न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा कि इस तरह के मामले से निपटने वाले प्राधिकारी के लिए यह खुला है कि वह परीक्षार्थी को उन आरोपों और सामग्री से परिचित कराने के लिए अपनी प्रक्रिया विकसित कर सकता है, जिनके आधार पर उनकी स्थापना की गई है और उन्हें उन आरोपों

की जांच करने और अपने मामले को आगे रखने का अवसर देने के लिए भी। प्राधिकरण को अर्ध-न्यायिक तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा।

(5) ए.आई.आर. 1971 पी.बी. 177.

(6) ए.आई.आर. 1973 1.

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की शक्ति के संबंध में विद्वान न्यायाधीशों ने यह विचार व्यक्त किया कि अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की वैधता से निपटने में उच्च न्यायालय अधिकारियों के निर्णयों पर अपील नहीं करता है। यदि विचाराधीन आदेश किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं है, तो उच्च न्यायालय इसे रद्द कर सकता है।

(7)औद्योगिक विवादों और सरकारी कर्मचारियों के मामलों से संबंधित बार के फैसलों में उद्धृत पक्षों के विद्वान वकील। मैं उनसे निपटना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों ने इस पीठ को भेजे गए विषय पर कानून का स्पष्ट रूप से निपटान कर दिया है।

(8) वर्तमान मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय के कैलेंडर के अध्यादेश 28 के विनियम 11 में यह प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद परीक्षाओं के संबंध में कदाचार और अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों से निपटने के लिए वार्षिक रूप से स्थायी समिति नियुक्त करेगी, और यदि समिति एकमत है, तो इसका निर्णय अंतिम होगा, सिवाय इसके कि परंतुक में दिया गया है, जो, यह स्पष्ट किया जा सकता है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई आवेदन नहीं है। शुरुआत में यह उल्लेख करने योग्य है कि विनोद कुमार ने समिति के चार सदस्यों में से किसी को भी दुर्भावना का श्रेय नहीं दिया। न ही हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया था कि समिति ने किसी निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। इस प्रकार, समिति, किसी भी घरेलू न्यायाधिकरण की तरह, अपनी प्रक्रिया विकसित करने के लिए स्वतंत्र थी, एकमात्र शर्त यह थी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय *बनाम* विनोद कुमार (एस. सी. मित्तल, जे.
किया गया था।

(9) समिति के निर्णय के साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप के सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण का सवाल यह है कि क्या हाथ में मामला कोई सबूत नहीं है। सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय को समिति द्वारा विचार किए गए और तय किए गए पूरे मामले की जांच करने की आवश्यकता है। ऐसा करने में भी, न्यायालय को आक्षेपित निर्णय (अनुबंध पी 11) पर अपील में नहीं बैठना पड़ता है। उस पर गौर करने और कार्यवाही करने से पता चलता है कि विनोद कुमार के खिलाफ पूरक उत्तर पुस्तिकाओं (जिसे निरंतरता पुस्तिकाओं के रूप में भी वर्णित किया गया है) में तस्करी करके और उन्हें मूल उत्तर पुस्तिका में संलग्न करके परीक्षा में अनुचित साधनों का सहारा लेने का आरोप लगाया गया था। विशेष संदर्भ अंग्रेजी पेपर 'ए' की उत्तर-पुस्तिका का था। विनोद कुमार को एक नोटिस (अनुलग्नक पी 1) भेजा गया था। उन्हें अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना था और 27 जून, 1975 को समिति के समक्ष उपस्थित होना था। विनोद कुमार समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उनसे उनके खिलाफ सामग्री के संबंध में पूछताछ की गई। उनके स्पष्टीकरण पर उचित विचार किया गया। स्वतंत्र रूप से समिति ने विनोद कुमार की उत्तर पुस्तिका की जांच की। अंत में विवादित निर्णय दिया गया।

(10) समिति ने जिस सामग्री पर कार्रवाई की, वह विनोद कुमार की मुख्य उत्तर-पुस्तिका थी, जिसके लिए विनोद कुमार द्वारा पूरक उत्तर-पुस्तिकाएं (निरंतरता पत्रक) संलग्न की गई थीं। पूरी मुख्य उत्तर-पुस्तिका एक ही कलम और स्याही से लिखी गई थी। इसका अंतिम पृष्ठ खाली छोड़ दिया गया था, जो सामान्य रूप से नहीं किया जाता है। फिर पूरक उत्तर-पुस्तिकाएं अलग-अलग पेन और अलग-अलग

स्याही से लिखी गई पाई गईं। इतना ही नहीं, पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं के साथ मुख्य उत्तर-पुस्तिका की तुलना करने पर, समिति ने एक राय बनाई कि उत्तरार्द्ध खाली या खाली समय में लिखा गया था।

(11) अनुलग्नक पी 8 विनोद कुमार का बयान है जिसे समिति द्वारा 27 जून, 1975 को दर्ज किया गया था। जब विनोद कुमार से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि पूरक उत्तर-पुस्तिकाएं उनकी लिखावट में थीं। अलग-अलग पेन और स्याही के इस्तेमाल के संबंध में विनोद कुमार ने बताया कि उनके पास दो पेन और एक स्याही का बर्तन था। जैसे ही पहली कलम की स्याही समाप्त हो गई, उन्होंने दूसरे पेन का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह तब हुआ जब मुख्य उत्तर-पुस्तिका, लेकिन अंतिम पृष्ठ के लिए लिखा गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि समिति ने उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया। अपनी संतुष्टि के लिए समिति ने विनोद कुमार से आगे पूछताछ की। उनका जवाब दर्ज किया गया कि वह एक घंटे में 15 पृष्ठ लिख सकते हैं और पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं में प्रश्न 5 और 9 के उत्तर लिखने में उन्हें लगभग डेढ़ घंटे का समय लगा। माना जाता है कि समिति ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि मुख्य उत्तर-पुस्तिकाओं में 24 पृष्ठ शामिल थे, जबकि पूरक उत्तर-पुस्तिकाएं 8 पृष्ठों की थीं। विनोद कुमार ने मुख्य उत्तर-पुस्तिका में तीन प्रश्नों को लगभग डेढ़ घंटे में हल किया। जैसा कि उनका अपना रुख है, उन्होंने पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं में अन्य दो प्रश्नों के उत्तर देने में शेष डेढ़ घंटे का समय लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि समिति विनोद कुमार के इस स्पष्टीकरण से काफी संतुष्ट नहीं थी।

(12) समिति द्वारा लागू एक अन्य परीक्षण यह था कि विनोद कुमार को उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के किसी भी हिस्से को लिखने के लिए

कहा गया था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, "नहीं, मैंने इन सभी उत्तरों को छीन लिया था जो मुझे अब याद नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें अपने जवाबों में इस्तेमाल किए गए किसी भी उद्धरण को याद है, विनोद कुमार ने ना में जवाब दिया। ये जाहिर तौर पर यह जानने के लिए सवाल पूछे गए कि क्या विनोद कुमार वास्तव में उत्तर-पुस्तिकाओं के लेखक थे।

(13) आगे की कार्यवाही से पहले यह विशेष उल्लेख करने योग्य है कि इस न्यायालय के समक्ष समिति द्वारा की गई कार्यवाही का रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक सामग्री है। इसके अलावा, इस रिट याचिका पर निर्णय लेने में बड़ी बाधा यह है कि न्यायालय के पास विनोद कुमार के आचरण और समिति के सदस्यों के मन पर इसके द्वारा बनाई गई छाप को जानने का कोई साधन नहीं है। इस मामले में अभी भी एक संकेत है कि खुद का बचाव करने के अपने उत्साह में, विनोद कुमार अपने दोषी विवेक को छिपा नहीं सके। नोटिस पी-1 के जवाब में विनोद कुमार ने 25 जून, 1975 को विश्वविद्यालय को अनुलग्नक पी 2 लिखकर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। 26 तारीख को उन्होंने अनुलग्नक पी 3 में आवेदन किया और रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय से अनुरोध किया। मामले की फाइल वास्तव में उन्हें तब दिखाई गई थी जब वह 27 जून, 1975 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे। विनोद कुमार अपने साथ लिखित आवेदन अनुलग्नक पी 9 ले गए थे, जिसे उन्होंने समिति के समक्ष रखा था। अनुलग्नक पी 9 में विनोद कुमार ने यह साबित करने के लिए एक हस्तलिपि विशेषज्ञ सहित साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर देने का अनुरोध किया था कि पूरक उत्तर-पुस्तिकाएं (निरंतरता पत्रक) उनके हाथ से लिखी गई थीं। अनुलग्नक पी 9 में विनोद कुमार ने

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय *बनाम* विनोद कुमार (एस. सी. मित्तल, जे.
लिखा:-

> उन्होंने कहा, 'आज मुझे फाइल के संबंधित कागजात दिखाए गए और मैंने देखा कि निरंतरता पत्र संख्या (1) मेरी लिखावट में है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फाइल वास्तव में विनोद कुमार को दिखाई गई थी जब वह समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि नोटिस अनुलग्नक पी 1 में किसी निरंतरता पत्र का कोई उल्लेख नहीं था, समिति ने विनोद कुमार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि उन्होंने अनुबंध पी 9 में ऊपर उद्धृत पंक्तियों को क्यों लिखा। विनोद कुमार ने जवाब दिया कि अनुबंध पी 1 प्राप्त होने पर उन्हें लगा कि उन्होंने एक और स्याही का भी इस्तेमाल किया है और स्याही में अंतर के कारण उनके खिलाफ संदेह पैदा हो सकता है। उनसे फिर विशेष रूप से पूछा गया लेकिन उनके द्वारा दिया गया जवाब पूरी तरह से असंतोषजनक था।

एक और महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि पूरक प्रश्न विनोद कुमार को अंग्रेजी में रखे गए थे, लेकिन उन्होंने उनके उत्तर हिंदी में लिखने का विकल्प चुना। अपने अभ्यावेदन (अनुबंध पी 2) में विनोद कुमार ने कहा कि उन्हें बीए भाग 1 में प्रथम श्रेणी मिली थी, लेकिन बीए भाग 2 में दो अंकों से प्रथम श्रेणी हार गए। विश्वविद्यालय के वकील ने तर्क दिया कि विनोद कुमार का यह लंबा दावा, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी पेश किया गया था, समिति को स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं था। विद्वान वकील ने रजिस्ट्रार द्वारा अपने लिखित बयान में दिए गए निम्नलिखित अपुष्ट कथन की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया: -

उन्होंने कहा, 'वह एक बार मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गया और 1971 में 19 साल की उम्र में महज थर्ड डिविजन हासिल कर एक प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में पास हो गया। प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा में भी बहुत कम अंक प्राप्त किए जाएं और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हों। हो सकता है कि उन्होंने बी.ए. भाग 1 और 2 में अच्छा प्रदर्शन किया हो, जो फिर से संदेह का एक मामला है कि उन्होंने तब भी अनुचित साधनों का सहारा लिया होगा।

पूर्वगामी कारणों से यह स्पष्ट है कि समिति का आक्षेपित निर्णय ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियों के संचयी प्रभाव पर आधारित था।

(15) विनोद कुमार के वकील ने जोर देकर आग्रह किया कि यह दिखाने के लिए रत्ती भर भी सबूत नहीं है कि वह परीक्षा के दौरान किसी भी समय परीक्षा हॉल से बाहर चले गए थे। इस बात पर भी जोर दिया गया कि पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं (निरंतरता पत्रकों) पर परीक्षा नियंत्रक की मुहर और हस्ताक्षर थे, जो दर्शाता है कि विनोद कुमार ने उन्हें परीक्षा की निगरानी करने वाले कर्मचारियों से प्राप्त किया था। तर्क ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि यह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला था और समिति ने संभावनाओं के प्रकाश में परिस्थितियों पर विचार किया।

(16) इस फैसले को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मुख्य उत्तर-पुस्तिका में विनोद कुमार ने तीन प्रश्न हल किए और प्रत्येक को 10 में से 7 अंक प्राप्त किए। पूरक उत्तर पुस्तिकाओं में दो प्रश्न हल किए गए थे, उन्हें दिए गए अंक क्रमशः 10 में से 5 और आधे और 7 थे। यदि यह अनुचित साधनों के उपयोग का मामला था,

तो विद्वान वकील ने आग्रह किया, विनोद कुमार को पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं में उनके द्वारा उत्तर दिए गए दो प्रश्नों में उच्च अंक प्राप्त करने चाहिए थे। तर्क की व्यवहार्यता की सराहना केवल तभी की जा सकती है जब यह न्यायालय समिति के निर्णय के खिलाफ अपील में बैठे।

(17) पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं में उत्तर इत्मीनान से क्यों लिखे गए थे, इसे इस सामान्य ज्ञान से समझाने की कोशिश की गई थी कि प्रत्येक छात्र उन प्रश्नों का प्रयास करना शुरू कर देता है जिनके लिए वह पहले सबसे अच्छा उत्तर देने में सक्षम होता है। मुख्य उत्तर-पुस्तिका में तीन प्रश्नों का प्रयास करने के बाद, विनोद कुमार के पास लगभग डेढ़ घंटा था। पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं में शेष दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए घंटों शेष हैं। सबसे पहले, इस तर्क पर भी विचार किया जा सकता था यदि यह न्यायालय अपील की अदालत के रूप में कार्य करता। दूसरे स्थान पर, समिति के चार सदस्य, जो शिक्षाविद हैं, प्रश्नों का उत्तर देने में परीक्षार्थी के व्यवहार के सबसे अच्छे न्यायाधीश थे। इसलिए यह तर्क भी तर्कसंगत नहीं है।

(18) जहां तक विनोद कुमार द्वारा दिए गए उत्तरों या उसमें निहित उद्धरणों के भाग को पुन: प्रस्तुत करने या दोहराने में असमर्थता का संबंध है, उनके विद्वान वकील ने तर्क दिया कि समिति ने प्रश्न को बहुत ही लापरवाह तरीके से रखा, जिसमें विनोद कुमार को विशेष रूप से मुख्य या पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं में किसी विशेष प्रश्न के उत्तर को दोहराने के लिए नहीं कहा गया था। यह तर्क भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विनोद कुमार से पूछे गए प्रश्नों की प्रवृत्ति से संकेत मिलता है कि समिति के सदस्यों के दिमाग में पूरक उत्तर-पुस्तिकाएं थीं (अनुलग्नक पी 8 के अनुसार)। किसी भी मामले में विनोद कुमार

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय *बनाम* विनोद कुमार (एस. सी. मित्तल, जे.
के लिए मुख्य उत्तर-पुस्तिका से कुछ भी पुन: पेश करने का विकल्प खुला था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना।

(19) समिति के समक्ष विनोद कुमार द्वारा की गई "दृश्य" और "दर्शन" की वर्तनी की गलतियों के संबंध में, उनके विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मुख्य उत्तर-पुस्तिका में उन्होंने उन्हें सही ढंग से लिखा था। जो भी हो, तथ्य यह है कि विनोद कुमार ने गलतियां की और समिति ने इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से उचित ठहराया।

(20) विनोद कुमार के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि लागू निर्णय (अनुबंध पी 11) में समिति ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि वह पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं में तस्करी का दोषी था, इसलिए, उसे दी गई सजा की आवश्यकता नहीं थी। आलोचना स्वीकार्य नहीं थी विनोद कुमार को दिए गए नोटिस (अनुबंध पी 1) में यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नीचे दिए गए तरीके से अनुचित साधनों और कदाचार का सहारा लिया था: -

"एक अन्य उत्तर-पुस्तिका में तस्करी करके परीक्षा में नकल करने के लिए जानबूझकर पूर्व व्यवस्था करना"।

अनुलग्नक पी 8 के अवलोकन से संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि विनोद कुमार से पूछे गए प्रश्नों में समिति ने पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं (निरंतरता पत्रक) पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तथ्य यह है कि विनोद कुमार खुद अच्छी तरह से जानते थे कि उनके खिलाफ आरोप पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं में तस्करी का था, यह उनके आवेदन (अनुबंध पी 9) की सामग्री से और स्पष्ट है जो उन्होंने समिति के समक्ष पेश होने से पहले लिखा था। इन परिस्थितियों में केवल यह तथ्य कि आक्षेपित निर्णय में समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विनोद कुमार उपरोक्त मोड को दोहराए बिना अनुचित साधनों का सहारा लेने के दोषी थे, कोई परिणाम नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि *बगलेश्वर प्रसाद के मामले* में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप ने विभिन्न मामलों का उल्लेख करते हुए पृष्ठ 878 पर पैराग्राफ 11 में कहा कि

तथ्य यह है कि जांच समिति ने एक विस्तृत रिपोर्ट नहीं लिखी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया कि प्रतिवादी ने अनुचित साधनों का उपयोग किया था।

(21) *सुखविंदर सिंह बनाम पंजाब विश्वविद्यालय* (7), *विनोद* कुमार की ओर से सेवा में लगाया गया था, लेकिन यह अनुचित साधनों के उपयोग का मामला था जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय की स्थायी समिति के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उम्मीदवार को यह समझाने का अवसर नहीं दिया गया था कि उसने कहीं से एक विशेष प्रश्न के अपने उत्तर की नकल की थी। इसलिए, निर्णय अलग-अलग है।

(22) समिति के विवादित निर्णय (अनुबंध पी-11) को इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसे केवल तभी कायम रखा जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि विनोद कुमार ने परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने बताया कि यह तर्क 1976 के विश्वविद्यालय कैलेंडर के खंड II में अध्यादेश III (3) पर आधारित है। 1976 के कैलेंडर में विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों को फिर से तैयार और समेकित किया गया था। योजना में "परीक्षा के घंटों के दौरान" शब्दों को शामिल किया गया था। चूंकि वर्तमान मामला अप्रैल, 1975 में आयोजित परीक्षा से संबंधित है, इसलिए विश्वविद्यालय का 1970 का कैलेंडर (खंड-I) लागू था। अध्यादेश XXVIII उसमें विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों से संबंधित है, उनमें से एक खंड 5 (ए) द्वारा परिभाषित किया गया है:

> "एक उम्मीदवार, जो परीक्षा में नकल करने के लिए जानबूझकर पिछली व्यवस्था का दोषी पाया जाता है, जैसे कि किसी अन्य उत्तर-पुस्तिका में तस्करी या उत्तर-पुस्तिका को बाहर भेजने या भेजने की व्यवस्था करना, या प्रतिरूपण, उसे तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा"।

इस तरह विनोद कुमार के लिए इस तर्क का कोई फायदा नहीं है ।

(23) परिणामस्वरूप यह बिना किसी सबूत का मामला नहीं है, इसलिए मैं अपील को स्वीकार करूंगा, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दूंगा और रिट याचिका को खारिज कर दूंगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, मैं सहमत हूं।

न्यायमूर्ति ए एस बैंस, मैं भी इससे सहमत हूं।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा